

**ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2024
भाग-एक**

1

प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत जान्ची में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव, कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति रंजीता देवी	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री हेम राज	01.04.22 से 11.10.2022
2.	श्री कुशल कुमार	12.10.22 से 17.05.2023
3.	श्री छांगा राम	18.05.23 से 12.09.2023
4.	महिंदर सिंह	13.09.23 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है जोकि उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र०स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.3	1.50
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	17.65
3.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1	0.91
4.	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.2	4.19
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	1.77
6.	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	8.4	11.58
7.	मस्ट्रीलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	9.1	1.82
8.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	9.2	1.39
9.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	9.3	0.54
10.	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	9.4	17.79
11.	PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	10.5	34.50

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 31-07-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कोई कारवाही अमल में नहीं लाई गई है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	अनिर्णीत	-
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8	अनिर्णीत	-
7.	9	अनिर्णीत	-
8.	10	अनिर्णीत	-
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-

11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31-07-2024 से 12-08-2024 तक ग्राम पंचायत जान्ची के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	12/2022	05/2022
2.	2023-2024	08/2023	06/2023

अस्वीकरण:- अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 12-08-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत जान्ची द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत जान्ची के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	65676	102865	168541	90576	77965
2023-24	77965	274378	352343	71990	280353

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1313318.28	17268112	18581430.28	16190166.4	2391263.88
2023-24	2391263.88	16066406	18457669.88	16692589	1765080.88

कुल योग (1 + 2) = ₹280353 + ₹1765080.88 = ₹2045433.88

(ब) ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम		राशि 31-03-2024 (₹)
1	99021300200734	HPGB RAKH	SF/SFC/VKVNY/ SDP/SDRF/NDRF /TASP/BASP	832831
2	99021100000531	HPGB RAKH	15TH FC	1020572

3	99021100000558	GPGB RAKH	RGSA	0
4	17910107048	HPSCB, CHAMBA	SF/SFC	42056
5		Cash In Hand		0
		Total		1895459

अन्तर (ब-अ) ₹2045433.88- ₹ 1895459 = 149974.88

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹149974.88/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹ 1.50 लाख का अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹149974.88 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07.08.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत

द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6

विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹17.65 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "परिशिष्ट - 3" पर अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1765080.88 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जान्ची के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त

राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.91 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹90955/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	70815	492	20	9840	80655	0	80655
2	2023-24	80655	515	20	10300	90955	0	90955

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली

समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 मोबाईल टावर शुल्क बकाया राशि की वसूली न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर स्थापित करने, उनके स्थापना व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क, भुगतान आग्रिम भुगतान की दशा में छूट एवं समय पर शुल्क की अदायगी न करने की स्थिति में जुर्माना लगाने व अनुमति रद्द करने से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मोबाईल टावर शुल्क की मांग व वसूली हेतु कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया था जिसके कारण मोबाईल टावर शुल्क की मांग व वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावर शुल्क बकाया था।

(क) 31-03-2024 को बकाया मोबाइल टावर शुल्क का विवरण :-

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान कुल माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	2022-23	30000	0	30000	0	30000
2.	2023-24	30000	0	30000	0	30000

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 07-08-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत जान्धी द्वारा सूचित किया कि ग्राम पंचायत राजस्व की वसूली कर ली जाएगी। प्रतिउत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः मोबाईल टावर फीस की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹1325 का वसूली हेतु शेष पाया जाना एवं दुकानों के आवंटन में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु निम्न कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी कानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

- 1) उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)
- 2) खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)
- 3) प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)
- 4) पंचायत निरीक्षक (सदस्य)
- 5) पंचायत सचिव/ सहायक (सदस्य)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी एवं उसमें निम्न शर्तें भी निर्धारित करेगी:-

- 1) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो।
- 2) किराये में वृद्धि का प्रावधान **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप रखा जाये।
- 3) यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता है अथवा परिसर को नुकसान पहुंचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाये।
- 4) किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को किराये पर देने (Subletting) का अधिकार न हो।
- 5) किरायेदार परिसर में किसी भी उपयोग परिवर्तन/अतिक्रमण/निर्माण इत्यादि हेतु अधिकृत नहीं हो।

- 6) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाये तथा परिसरों/भवनों को खुली बोली से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 7) व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा ही की जाये। किन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि; ग्राम पंचायत द्वारा 02 दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था।

Shop rent report

PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2024

Financial Year	Outstanding Amount	No of shop	Rent of shop	Demand During the year	Total	Collection During the year	Closing Balances
2022-23	650	2	225	5400	6050	4050	2000
2023-24	2000	2	225	5400	7400	6075	1325

(ख) किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि: पंचायत द्वारा उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं विविध अनियमिततायें की जा रही है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया नहीं वसूला जा रहा है।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ौतरी नहीं की गई है।
4. पंचायत की सम्पति को पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेठी का गठन नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 3 दिनांक 07-08-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जान्ची को अवगत करवाया गया। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव, द्वारा सूचित किया कि " बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाएगी एवं पंचायत द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।"

उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रति उदासीनता का द्योतक है; जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का समाना करना पड़ सकता है। अतः दुकानों के किराये की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके एवं दुकानों के आबंटन में नियमानुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 07 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को राशि 37.15 लाख का अनियमित भुगतान करने के कारण सरकार को ₹4.19 लाख की रॉयल्टी के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ़ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को

खनन विभाग से अत्रापति प्रमाण पत्र X-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। तथा पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदाओं में फॉर्म -X/M न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती करने हेतु भी प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत जान्ची, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अत्रापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को राशि 3715468.00 का अनियमित भुगतान किया गया। और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को जुर्माना सहित राशि ₹418953/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट " 5" में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 6 दिनांक 07-08-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बंधित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनियमितता को न्योचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3

प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.77 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे ।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹3715468 /- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट " 5 "** में दिया गया है ।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है । तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹176927/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है ।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी । उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा

करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.4 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹11.58 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (Mnrega Operational Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस ० एम० एस० -8/2010-11-आरडीडी फण्ड दिनांक 18 जून 2011 के अंतर्गत मजदूरी घटक तथा गैर मजदूरी घटक से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार मजदूरी के ऊपर कम अनुपात में व्यय किया गया था तथा सामग्री के ऊपर ज्यादा अनुपात में व्यय किया गया था जोकि मनरेगा नियमों की अवहेलना की जा रही थी तथा मनरेगा अधिनियम के मूल उद्देश्यों की भी अवहेलना थी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री जैसे (पत्थर) की तुड़ाई व ढूलाई मजदूरों से न करके आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी जिस कारण काम करने वाले मजदूरों को कम कार्य दिवस मिले तथा आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित व अनुचित था पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार निम्नलिखित अनुपात में भुगतान किया गया था

वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत किया गया कुल व्यय राशि (लाख में)	मजदूरी पर खर्च की गई राशि (लाख में)	सामग्री पर खर्च की गई राशि (लाख में)	व्यय जो अनुपात में किया जाना था राशि (लाख में)		सामग्री हेतु किया गया अधिक / अनुचित भुगतान (40% से अधिक) राशि (लाख में)
				मजदूरी	सामग्री	
2023-24	126.32	64.21 (50.83%)	62.11 (49.17%)	75.79	50.52	11.58

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।" दिया गया उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उक्त मजदूरी व सामग्री पर किया गया व्यय अनुपात में न होने के कारण मजदूरों को रोजगार के लिए कम मिले । अतः उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सामग्री पर किये गये अनियमित / अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बंधित से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त अनियमितता को विशेष रूप से उचाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है ।

9.1 ₹1.82 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी ।

ग्राम पंचायत जान्ची के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे । जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है । इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती ।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था । जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है । जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था ।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्ट्रोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
51900	47/02.5.22	62188	labour payment	vkyny	c/o pucca path with boundry wall rakh
51981	47/02.5.22	69524	labour payment	head - 4515	pucca path aforest house eto fat
51988	02/17.05.22	49980	labour payment	15TH FC	C/O STONE PITCHING GPS TRALA SE BREHI
		181692		-	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत जान्धी के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग,

अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जान्ची द्वारा राशि ₹139200/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	01,2/02.04.22	RGSA	M/S M.K ENTERPRISES PAREL , CHAMBA	FURNTURE	92000
2	03/02.4.22	RGSA	M/S M.K ENTERPRISES PAREL , CHAMBA	FURNTURE	47200
				Total	139200

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 07-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत जान्ची के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.54 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹53760.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	33/19.05.22	basp	hp agro industries ltd chamba	steel	53760
				total	53760

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -09 दिनांक 07-08-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 राशि ₹17.79 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार राशि ₹1778516.00 निर्माण कार्यो /विकास कार्यो हेतु निर्माण सामग्री का क्रय दर्शाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितत है।

Sr.No	Name of VENDOR	Head	bill no/ date of payment	Amount
1	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	57/23/05/2022	32000.0
2	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	58/23/05/2022	43200.0
3	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	59/23/05/2022	38400.0
4	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	62/23/05/2022	19200.0
5	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	63/23/05/2022	12000.0
6	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	119/23/05/2022	87000.0
7	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	176/23/05/2022	56000.0
8	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	24/23/05/2022	38400.0
9	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	25/23/05/2022	34240.0
10	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	26/23/05/2022	14400.0
11	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	27/23/05/2022	24000.0
12	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	91/23/05/2022	64000.0
13	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	92/23/05/2022	16000.0
14	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	93/23/05/2022	25600.0
15	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	70/23/05/2022	59200.0

16	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	71/23/05/2022	50240.0
17	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	68/23/05/2022	27808.0
18	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	69/23/05/2022	76000.0
19	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	14/23/05/2022	16000.0
20	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	15/23/05/2022	19200.0
21	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	16/23/05/2022	32000.0
22	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	17/23/05/2022	6400.0
23	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	18/23/05/2022	24000.0
24	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	19/23/05/2022	19200.0
25	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	20/23-05-2022	24000.0
26	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	21/23-05-2022	48000.0
27	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	23/23-05-2022	46400.0
28	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	41/23-05-2022	96000.0
29	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	96/23-05-2022	52800.0
30	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	97/23-05-2022	28000.0
31	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	98/23-05-2022	36800.0
32	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	40/23-05-2022	98000.0
33	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	41/23-05-2022	98000.0
34	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	7/23-05-2022	10800.0
35	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	8/23-05-2022	14400.0
36	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	9/23-05-2022	12800.0
37	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	163/23-05-2022	44000.0
38	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	164/23-05-2022	44000.0
39	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	66/23-05-2022	9680.0
40	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	67/23-05-2022	51200.0
41	Nagesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	171/23-05-2022	12000.0
42	Nagesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	172/23-05-2022	16000.0
43	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	157/23-05-2022	16000.0
44	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	158/23-05-2022	20144.0

45	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	64/23-05-2022	16000.0
46	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	65/23-05-2022	22560.0
47	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	101/23-05-2022	12224.0
48	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	140/23-05-2022	27400.0
49	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	136/23-05-2022	17620.0
50	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	182/23-05-2022	25000.0
51	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	186/23-05-2022	17600.0
52	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	126/23-05-2022	26600.0
Total				1778516.0

अंकेक्षण अध्याचना संख्या -11 दिनांक 07-08-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए हैं और न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं

करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मर्दें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत जान्धी द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 सभा निधि से विभिन्न मदों हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि का व्यय करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न मदों हेतु जितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई थी अथवा शेष थी उससे अधिक का भुगतान पारित किया गया था व सभी मदों का बैंक खाता सभा निधि में होने के कारण उक्त अधिक राशि का

भुगतान सभा निधि से किया गया प्रतीत होता है जोकि उक्त सभा निधि पर वैध प्रभार नहीं है तथा जोकि पंचायती राज नियमों की अवहेलना है।

Sr.No	Particulars	Total
1	SDRF	-193999
2	RGSA	-19936
3	SDP	-59506
		-273441

इस संदर्भ मद अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11, दिनांक :-07-08-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत जान्ची के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये। अतः जिसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सार्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11, दिनांक :-07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹34.50 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹3450338.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष ₹5495772.00

31-03-2024 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष ₹ 2045434.00

अन्तर ₹3450338.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 07.08.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र० रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1. निवेश रजिस्टर	01	12
2. अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3. मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4. माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5. अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6. निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7. तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी	31	95(1)
आकलन का रजिस्टर		
8. स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11, दिनांक 07.08.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

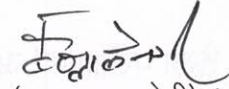
ग्राम पंचायत जान्ची की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

04 NOV 2024



(कृष्ण लाल नेगी) 04.11.24
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

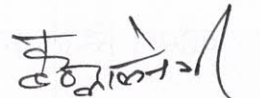
4960-4964 कां०/प्र०

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 119/2023 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जांधी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 NOV 2024



(कृष्ण लाल नेगी) 04.11.24
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

कां०/प्र०

परिशिष्ट -1 पैरा संख्या 4.1(क)(i) के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP JANGHI "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	65676	102865	168541	90576	77965
2023-24	77965	274378	352343	71990	280353

Secretary *[Signature]*
Gram Panchayat Janghi
Dev. Block Mehla Distt. Chamba

54

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White. The addresses are: 123 Main Street, New York, N.Y.; 456 Elm Street, Boston, Mass.; 789 Oak Street, Philadelphia, Pa.; and 101 Pine Street, San Francisco, Calif.

2. The second part of the document is a letter from the committee to the members of the committee. The letter is written in a cursive hand and is dated January 1, 1900. The letter is addressed to the members of the committee and is signed by the committee. The letter is as follows: "Dear Sirs: We have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. We are, Sirs, very respectfully, your obedient servants, The Committee."

पॉरेशेष्ट -2

Grant in aid in r/o

पेरा संख्या 4.1(क)(iii)

" GP JANGHI "

के संदभे में

Dev. Block MEHLA

Distt Chamba HP-176311

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	1313318.28	17268112	18581430.28	16190166.4	2391263.88
2023-24	2391263.88	16066406	18457669.88	16692589	1765080.88

Secretary *[Signature]*
Gram Panchayat Janghi
Dev. Block Mehla Distt. Chh

10

Grant in aid in r/o		" GP JANGHI "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176311	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	85360	299900	385260	349561	35699
2	5TH FSC	11106	910700	921806	391276	530530
3	VKVNY	438124.28	575888	1014012.28	859529	154483.28
4	15TH FC	273085	1815422	2088507	746651	1341856
5	MGNREGA	0	10966629	10966629	10966629	0
6	TASP	74860	479500	554360	541945	12415
7	SDRF	96200	598446	694646	531095	163551
8	IWMP	326483	245634	572117	568156.4	3960.6
9	RGSA	8100	162993	171093	191029	-19936
10	HEAD 4515	0	208200	208200	182200	26000
11	SDP	0	884800	884800	778179	106621
13	VMJS	0	120000	120000	83916	36084
	Total	1313318.28	17268112	18581430.28	16190166.4	2391263.88
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP JANGHI "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176311	Year Ended	2023-24
1	BASP	35699	0	35699	0	35699
2	5TH FSC	530530	255650	786180	749348	36832
3	VKVNY	154483.28	972300	1126783.28	1059897	66886.28
4	15TH FC	1341856	534377	1876233	846087	1030146
5	MGNREGA	0	10752775	10752775	10752775	0
6	TASP	12415	0	12415	0	12415
7	SDRF	163551	804252	967803	1161802	-193999
8	IWMP	3960.6	0	3960.6	0	3960.6
9	RGSA	-19936	0	-19936	0	-19936
10	HEAD 4515	26000	0	26000	0	26000
11	SDP	106621	1384200	1490821	1550327	-59506
12	VMJS	36084	3500	39584	33950	5634
13	Relief	0	827455	827455	120900	706555
14	YSS	0	494900	494900	380506	114394
15	PS	0	36997	36997	36997	0
	Total	2391263.88	16066406	18457669.88	16692589	1765080.88

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024	Own sources		280353
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	BASP		35699
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH FSC		36832
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		66886.28
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1030146
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	MGNREGA		0
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	TASP		12415
8	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF		-193999
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP		3960.6
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		-19936
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	HEAD 4515		26000
12	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		-59506
13	Cash Book Balance on 31.03.2024	VMJS		5634
14	Cash Book Balance on 31.03.2024	Relief		706555
15	Cash Book Balance on 31.03.2024	YSS		114394
16	Cash Book Balance on 31.03.2024	PS		0
		Total		2045433.88

Balance as Per Bank on 31.03.24

A/c No	Branch	Head		
1 99021300200734,	HPGB RAKH	SF/SFC/VKVNY/SDP/SDRF/NDRF/TASP/BASP		832831
2 99021100000531,	HPGB RAKH	15TH FC		1020572
3 99021100000558,	GPGB RAKH	RGSA		0
17910107048,	HPSCB, CHAMBA	SF/SFC		42056
	Cash In Hand			0
	Total			1895459
			Difference	149974.88

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

31

Secretary
Gram Panchayat Janghi
Dev. Block Mehla Distt. Ch

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/BILL	Date of payment	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYALTY	AMOUNT	AMOUNT	GST CHALLAN
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE		MATERIAL	M3	TONNE	ROYALTY	NOT PAID	PAID	TO BE PAID	NOT PRODUCED IN AUDIT
1	Bhupender Kumar po rakh	vkvy	19/02.05.22	02.05.22	agg	3.00	6.72	80	537.6	12000.0	11428.6	571.4
2	Bhupender Kumar po rakh	vkvy	20/02.05.22	02.05.22	stone	15.00	33.60	80	2688.0	29932.0	28306.7	1425.3
3	Ramesh Kumar po rakh	Head-4515	22/02.05.22	02.05.22	agg	6.00	9.72	80	777.6	24000.0	22857.1	1142.9
4	Ramesh Kumar po rakh	Head-4515	23/02.05.22	02.05.22	stone	15.00	24.30	80	1944.0	28200.0	26857.1	1342.9
5	Ramesh Kumar po rakh	Head-4515	24/02.05.22	02.05.22	sand	1.20	1.94	80	155.5	4800.0	4571.4	228.6
6	Ramesh Kumar po rakh	vkvy	27/05.05.22	05.05.22	stone	15.00	24.30	80	1944.0	30000.0	28571.4	1428.6
7	Ramesh Kumar po rakh	vkvy	28/05.05.22	05.05.22	stone	10.00	16.20	80	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
8	Bhupender Kumar po rakh	SDRF	38/23.05.22	23.05.22	stone	20.00	32.40	80	2592.0	40000.0	38095.2	1904.8
9	Bhupender Kumar po rakh	SDRF	39/23.05.22	23.05.22	stone	10.00	16.20	80	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
10	Ramesh Kumar po rakh	SDRF	41/23.05.22	23.05.22	AGG	2.80	4.54	80	362.9	11200.0	10666.7	533.3
11	Ramesh Kumar po rakh	SDRF	42/23.05.22	23.05.22	stone	6.00	9.72	80	777.6	12000.0	11428.6	571.4
12	Ramesh Kumar po rakh	15th fe	07/17.05.22	17.05.22	stone	16.00	25.92	80	2073.6	32000.0	30476.2	1523.8
13	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15(1)/05/02/2022	145/23/05/2022	Stone	3.91	8.76	80	700.7	24000.0	22857.1	1142.9
14	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15(1)/05/02/2022	146/23/05/2022	Stone	15.00	33.60	80	2688.0	6256.0	5958.1	297.9
22	Nagesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	15(5)/05/02/2022	152/23/05/2022	Stone	24.00	53.76	80	4300.8	48000.0	45714.3	2285.7
23	Nagesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	15(5)/05/02/2022	153/23/05/2022	Stone	17.50	39.20	80	3136.0	35000.0	33333.3	1666.7
28	Pawan Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(1)/05/05/2021	01/23/05/2022	Stone	31.97	71.61	80	5729.0	51152.0	48716.2	2435.8
29	Pawan Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(1)/05/05/2021	02/23/05/2022	Stone	30.00	67.20	80	5376.0	48000.0	45714.3	2285.7
33	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4(6)/05/11/2021	116/23/05/2022	Stone	19.55	43.79	80	3503.4	31280.0	29790.5	1489.5
34	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(14)/15/09/2021	72/23/05/2022	Stone	5.50	12.32	80	985.6	8800.0	8381.0	419.0
35	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(14)/15/09/2021	73/23/05/2022	Stone	4.72	10.57	80	845.8	7552.0	7192.4	359.6
36	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(14)/15/09/2021	74/23/05/2022	Stone	20.00	44.80	80	3584.0	32000.0	30476.2	1523.8
37	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(14)/15/09/2021	75/23/05/2022	Stone	12.00	26.88	80	2150.4	19200.0	18285.7	914.3
38	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(19)/15/09/2021	87/23/05/2022	Stone	19.46	43.59	80	3487.2	31136.0	29653.3	1482.7
39	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(19)/15/09/2021	88/23/05/2022	Stone	9.50	21.28	80	1702.4	15200.0	14476.2	723.8
40	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)/05/05/2021	10/23/05/2022	Stone	8.80	19.71	80	1577.0	14080.0	13409.5	670.5
41	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)/05/05/2021	11/23/05/2022	Stone	9.00	20.16	80	1612.8	14400.0	13714.3	685.7
42	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)/05/05/2021	12/23/05/2022	Stone	12.00	26.88	80	2150.4	19200.0	18285.7	914.3
43	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)/05/05/2021	13/23/05/2022	Stone	2.00	4.48	80	358.4	3200.0	3047.6	152.4
58	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(2)/15/09/2021	45/23-05-2022	Stone	29	64.96	80	5196.8	46400.0	44190.5	2209.5
59	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(2)/15/09/2021	46/23-05-2022	Stone	19	42.56	80	3404.8	30400.0	28952.4	1447.6
60	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(2)/15/09/2021	47/23-05-2022	Stone	24	53.76	80	4300.8	38400.0	36571.4	1828.6
66	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15(9)/05/02/2022	159/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	15238.1	761.9
67	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15(9)/05/02/2022	160/23-05-2022	Stone	12.59	28.20	80	2256.1	20144.0	19184.8	959.2
74	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4(3)/22/03/2022	174/23-05-2022	Stone	28.7	64.29	80	5143.0	57400.0	54666.7	2733.3
82	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	14(10)/05/02/2022	163/23-05-2022	Stone	4.01	8.98	80	718.6	6416.0	6110.5	305.5
83	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	14(10)/05/02/2022	164/23-05-2022	Stone	5	11.20	80	896.0	8000.0	7619.0	381.0
84	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15(7)/05/02/2022	155/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	15238.1	761.9



85	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15/7/05/02/2022	156/23-05-2022	Stone	11.45	25.65	80	2051.8	18320.0	1747.6	872.4
88	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	2/15/05/02/2022	147/23-05-2022	Stone	8.75	19.60	80	1568.0	14000.0	1333.3	666.7
89	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/05/11/2021	106/23-05-2022	Stone	4.29	9.61	80	768.8	6864.0	637.1	326.9
90	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/05/11/2021	107/23-05-2022	Stone	8	17.92	80	1433.6	12800.0	1219.0.5	609.5
91	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/05/11/2021	108/23-05-2022	Stone	6.87	15.39	80	1231.1	10992.0	1068.6	523.4
92	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/7/05/05/2021	3/23-05-2022	Stone	12	26.88	80	2150.4	19200.0	1885.7	914.3
93	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/7/05/05/2021	4/23-05-2022	Stone	15	33.60	80	2688.0	24000.0	2285.1	1142.9
94	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/7/05/05/2021	5/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	1538.1	761.9
95	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/7/05/05/2021	6/23-05-2022	Stone	12.37	27.71	80	2216.7	19792.0	1884.5	942.5
96	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/3/05/11/2021	109/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	1538.1	761.9
97	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/3/05/11/2021	110/23-05-2022	Stone	20	44.80	80	3584.0	32000.0	30476.2	1523.8
99	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15/4/05/02/2022	150/23-05-2022	Stone	8.15	18.26	80	1460.5	13040.0	12419.0	621.0
100	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	15/4/05/02/2022	151/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	1538.1	761.9
101	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	14/6/28/01/2022	46/23-05-2022	Stone	8.3	18.59	80	1487.4	16600.0	15809.5	790.5
102	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	14/5/28/01/2022	141/23-05-2022	Stone	6.7	15.01	80	1200.6	13400.0	12761.9	638.1
103	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	8/1/27/09/2021	100/23-05-2022	Stone	3.4	7.62	80	609.3	5440.0	5181.0	259.0
104	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	8/1/27/09/2021	99/23-05-2022	Stone	16	35.84	80	2867.2	25600.0	24881.0	1219.0
105	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/6/12/01/2022	133/23-05-2022	Stone	6.4	14.34	80	1146.9	12800.0	12190.5	609.5
106	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/4/12/01/2022	123/23-05-2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	18000.0	17142.9	857.1
107	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/5/12/01/2022	128/23-05-2022	Stone	11.3	25.31	80	2025.0	22600.0	21523.8	1076.2
108	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/3/12/01/2022	130/23-05-2022	Stone	6.4	14.34	80	1146.9	12800.0	12190.5	609.5
109	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/7/05/11/2021	117/23-05-2022	Stone	6.4	14.34	80	1146.9	12800.0	12190.5	609.5
110	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	6/8/05/11/2021	118/23-05-2022	Stone	6.4	14.34	80	1146.9	12800.0	12190.5	609.5
111	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/12/01/2022	125/23-05-2022	Stone	6.4	14.34	80	1146.9	12800.0	12190.5	609.5
112	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	14/1/28/01/2022	134/23-05-2022	Stone	13.3	29.79	80	2383.4	26600.0	2533.3	1266.7
113	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/2/22/03/2022	178/23-05-2022	Stone	8.8	19.71	80	1577.0	17600.0	16761.9	838.1
114	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/4/22/03/2022	180/23-05-2022	Stone	8.8	19.71	80	1577.0	17600.0	16761.9	838.1
115	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/7/22/03/2022	184/23-05-2022	Stone	8.8	19.71	80	1577.0	17600.0	16761.9	838.1
120	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/16/15/09/2021	81/23-05-2022	Stone	9.17	20.54	80	1643.3	14672.0	13973.3	698.7
121	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/16/15/09/2021	82/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	15238.1	761.9
122	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/08/03/2022	166/23-05-2022	Stone	15	33.60	80	2688.0	30000.0	28571.4	1428.6
123	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/2/08/03/2022	167/23-05-2022	Stone	14	31.36	80	2508.8	28000.0	2666.7	1333.3
124	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/7/12/01/2022	13/23-05-2022	Stone	8.3	18.59	80	1487.4	16600.0	15809.5	790.5
125	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/10/05/11/2021	122/23-05-2022	Stone	8.1	18.14	80	1451.5	16200.0	15428.6	771.4
126	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4/10/05/11/2021	104/23-05-2022	Stone	29.6	66.30	80	5304.3	59200.0	56381.0	2819.0
127	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/4/05/11/2021	111/23-05-2022	Stone	4.8	10.75	80	860.2	7680.0	7314.3	365.7
128	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	4/4/05/11/2021	112/23-05-2022	Stone	14	31.36	80	2508.8	22400.0	21333.3	1066.7
129	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/8/15/09/2021	85/23-05-2022	Stone	15	33.60	80	2688.0	24000.0	22857.1	1142.9
130	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/8/15/09/2021	86/23-05-2022	Stone	28.87	64.67	80	5173.5	46192.0	43992.4	2199.6
131	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/10/05/10/2021	102/23-05-2022	Stone	8.4	18.82	80	1505.3	16420.0	15638.1	781.9
132	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	16/11/10/06/2021	36/23-05-2022	Agg.	12.25	23.275	80	1862.0	49000.0	4666.7	2333.3
133	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	16/11/10/06/2021	37/23-05-2022	Sand	12.25	19.845	80	1587.6	49000.0	4666.7	2333.3
134	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/17/15/09/2021	83/23-05-2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	14400.0	13714.3	685.7
135	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3/17/15/09/2021	84/23-05-2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	14400.0	13714.3	685.7
136	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3/8/15/09/2021	60/23-05-2022	Stone	37	82.88	80	6630.4	59200.0	56381.0	2819.0

83
 2819.0
 59200.0
 56381.0
 2819.0
 59200.0
 56381.0

25

100

100

137	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(8)15/09/2021	61/23-05-2022	Stone	30	67.20	80	5376.0	48000.0	45714.3	2285.7
138	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(15)15/09/2021	76/23-05-2022	Stone	9.15	20.50	80	1639.7	14640.0	13942.9	697.1
139	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(15)15/09/2021	77/23-05-2022	Stone	28	62.72	80	5017.6	44800.0	42666.7	2133.3
140	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(15)15/09/2021	78/23-05-2022	Stone	14	31.36	80	2508.8	22400.0	21333.3	1066.7
141	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(15)15/09/2021	79/23-05-2022	Stone	9.28	20.79	80	1663.0	14848.0	14141.0	707.0
142	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	3(15)15/09/2021	80/23-05-2022	Stone	7.5	16.80	80	1344.0	12000.0	11428.6	571.4
143	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(20)15/09/2021	89/23-05-2022	Stone	25.9	58.02	80	4641.3	41440.0	39666.7	1973.3
144	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(20)15/09/2021	90/23-05-2022	Stone	40	89.60	80	7168.0	64000.0	60952.4	3047.6
145	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)15/09/2021	52/23-05-2022	Stone	37	82.88	80	6630.4	59200.0	56381.0	2819.0
146	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(5)15/09/2021	53/23-05-2022	Stone	38	85.12	80	6809.6	60800.0	57904.8	2895.2
147	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(3)15/09/2021	48/23-05-2022	Stone	25	56.00	80	4480.0	40000.0	38095.2	1904.8
148	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(3)15/09/2021	49/23-05-2022	Stone	20.2	45.25	80	3619.8	32320.0	30781.0	1539.0
149	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(3)15/09/2021	50/23-05-2022	Stone	16	35.84	80	2867.2	25600.0	24381.0	1219.0
150	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(3)15/09/2021	51/23-05-2022	Stone	13	29.12	80	2329.6	20800.0	19809.5	990.5
151	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(6)15/09/2021	54/23-05-2022	Stone	35	78.40	80	6272.0	56000.0	53333.3	2666.7
152	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(6)15/09/2021	55/23-05-2022	Stone	24	53.76	80	4300.8	38400.0	36571.4	1828.6
153	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(6)15/09/2021	56/23-05-2022	Stone	14	31.36	80	2508.8	22400.0	21333.3	1066.7
154	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(1)15/09/2021	42/23-05-2022	Stone	22.8	51.07	80	4085.8	36480.0	34742.9	1737.1
155	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(1)15/09/2021	43/23-05-2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	14400.0	13714.3	685.7
156	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(1)15/09/2021	44/23-05-2022	Stone	18	40.32	80	3225.6	28800.0	27428.6	1371.4
157	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4(5)05/11/2021	113/23-05-2022	Stone	10	22.40	80	1792.0	16000.0	15238.1	761.9
158	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4(5)05/11/2021	114/23-05-2022	Stone	7	15.68	80	1254.4	11200.0	10666.7	533.3
159	Bhupinder Kumar P.O. rakh	MGNREGA	4(5)05/11/2021	115/23-05-2022	Stone	2.3	5.15	80	412.2	3680.0	3504.8	175.2
160	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(23)15/09/2021	94/23-05-2022	Stone	23	51.52	80	4121.6	36800.0	35047.6	1752.4
161	Ramesh Kumar PO Rakh	MGNREGA	3(23)15/09/2021	95/23-05-2022	Stone	22.5	50.40	80	4032.0	36000.0	34285.7	1714.3
2023-24									0.0	0.0	0.0	0.0
163	Ramesh Kumar po rakh	15th fe	08/23.06.23	23.06.23	stone	14.00	22.68	80	1814.4	28000.0	26666.7	1333.3
164	Ramesh Kumar po rakh	15th fe	09/23.06.23	23.06.23	age	2.35	3.81	80	304.6	9400.0	8952.4	447.6
165	Ramesh Kumar po rakh	15th fe	11/23.06.23	23.06.23	stone	16.00	25.92	80	2073.6	32000.0	30476.2	1523.8
166	Ramesh Kumar po rakh	15th fe	12/23.06.23	23.06.23	sand	1.82	2.95	80	235.9	7280.0	6933.3	346.7
167	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	17/05.06.23	05.06.23	sand	2.60	4.21	80	337.0	10400.0	9904.8	495.2
168	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	18/05.06.23	05.06.23	stone	24.00	38.88	80	3110.4	48000.0	45714.3	2285.7
169	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	19/05.06.23	05.06.23	age	10.00	16.20	80	1296.0	40000.0	38095.2	1904.8
170	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	20/05.06.23	05.06.23	sand	6.00	9.72	80	777.6	24000.0	22857.1	1142.9
171	Ramesh Kumar po rakh	sdp	21/05.06.23	05.06.23	sand	2.00	3.24	80	259.2	12000.0	11428.6	571.4
172	Ramesh Kumar po rakh	sdp	22	05.06.23	agg	5.00	8.10	80	648.0	20000.0	19047.6	952.4
173	Ramesh Kumar po rakh	sdp	23	05.06.23	stone	6	9.72	80	777.6	12000.0	11428.6	571.4
174	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	24	05.06.23	sand	6	9.72	80	777.6	24000.0	22857.1	1142.9
175	Ramesh Kumar po rakh	vkyny	25	05.06.23	agg	10	16.2	80	1296.0	40000.0	38095.2	1904.8
176	Ramesh Kumar po rakh	agg	26	05.06.23	sand	4.6	7.452	80	596.2	18400.0	17523.8	876.2
177	Ramesh Kumar po rakh	agg	27	05.06.23	agg	3.8	6.156	80	492.5	15200.0	14476.2	723.8
178	Ramesh Kumar po rakh	stone	28	05.06.23	stone	9	14.58	80	1166.4	18000.0	17142.9	857.1
179	Ramesh Kumar po rakh	SAND	29	05.06.23	SAND	2	3.24	80	259.2	8000.0	7619.0	381.0
180	Ramesh Kumar po rakh	AGG	30	05.06.23	AGG	3.6	5.832	80	466.6	14400.0	13714.3	685.7
181	Ramesh Kumar po rakh	stone	31	05.06.23	stone	10	16.2	80	1296.0	20000.0	19047.6	952.4

E

1

1

182	Ramesh Kumar po Rakh	SDP	32	05.06.23	SAND	5	8.1	80	648.0	20000.0	19047.6	952.4
183	Ramesh Kumar po Rakh	SDP	33	05.06.23	ACG	6	9.72	80	777.6	24000.0	22857.1	1142.9
184	MAHESHWAR SONI PO RAKH	SDRF	41	13.06.23	stone	24	38.88	80	3110.4	12300.0	11714.3	585.7
185	MAHESHWAR SONI PO RAKH	SDRF	42	13.06.23	ACG	8	12.96	80	1036.8	32000.0	30476.2	1523.8
186	MAHESHWAR SONI PO RAKH	SDRF	43	13.06.23	SAND	4	6.48	80	518.4	16000.0	15238.1	761.9
187	MAHESHWAR SONI PO RAKH	SDRF	44	13.06.23	stone	18	29.16	80	2332.8	36000.0	34285.7	1714.3
188	Ramesh Kumar po Rakh	SDRF	45	13.06.23	stone	18.56	30.0672	80	2405.4	37120.0	35352.4	1767.6
189	MAheshwar Soni PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	115/20/06/2023	Sand	8.00	12.96	80	1036.8	32000.0	30476.2	1523.8
190	MAheshwar Soni PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	116/20/06/2023	Sand	4.80	7.776	80	622.1	19200.0	18285.7	914.3
191	MAheshwar Soni PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	117/20/06/2023	Agg.	7.10	13.49	80	1079.2	28400.0	27047.6	1352.4
192	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	111/20/06/2023	Stone	20.00	45.00	80	3600.0	32000.0	30476.2	1523.8
193	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	109/20/06/2023	Stone	20.00	45.00	80	3600.0	40000.0	38095.2	1904.8
194	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	110/20/06/2023	Stone	20	45.00	80	3600.0	40000.0	38095.2	1904.8
195	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	73/20/06/2023	Stone	30.00	67.50	80	5400.0	48000.0	45714.3	2285.7
196	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	74/20/06/2023	Stone	30.00	67.50	80	5400.0	48000.0	45714.3	2285.7
197	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	75/20/06/2023	Stone	30.00	67.50	80	5400.0	48000.0	45714.3	2285.7
198	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	76/20/06/2023	Stone	30.00	67.50	80	5400.0	48000.0	45714.3	2285.7
199	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	77/20/06/2023	Stone	17.00	38.25	80	3060.0	27200.0	25904.8	1295.2
200	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	112/20/06/2023	Sand	5.70	10.83	80	866.4	22800.0	21714.3	1085.7
201	Ramesh Kumar PO Rakh	MCNREGA	6/27/03/2023	113/20/06/2023	Agg.	10.80	20.52	80	1641.6	43200.0	41142.9	2057.1
		Add :- 25% panaly										
		Total		335162.16		83790.54			83790.54		418952.7	

Remarks:

- All Figures are taken up to 2 Decimal
Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
- From Square Feet to Cubic Meter M3
35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)
 - From Cubic Meter (M³) to Tonne
One Cubic Meter (M³) Sand 1.62
One Cubic Meter (M³) Aggregate 1.9
One Cubic Meter (M³) Stone 2.24
- All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
- As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared whether it is paid or not

35

SECRETARY
Gram Panchayat Jagga
Dev. Block, Mahla Dist. G.P.

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	15
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----